

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश।

संख्या: 5890/ई-7/जू0इंजी0(सिविल)/सेवानिवृत्त,

लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर: 22-2016

कार्यालय-ज्ञाप

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित जूनियर इंजीनियर (सिविल) को वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2-4 के नियम-56 में दिये गये प्राविधानानुसार वर्ष 2017 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं:-

क्र० सं०	जूनियर इंजीनियर का नाम	जन्मतिथि / गृहजनपद	वर्तमान में कार्यरत खण्ड / मण्डल का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1-	सर्व श्री अशोक कुमार सिंह	11.03.57 / मुरादाबाद	यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	31.03.2017
2-	तेज प्रकाश लाल	26.03.57 / आजमगढ़	यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	31.03.2017
3-	मुकेश तोमर	04.07.57 / एटा	ड्रेनेज खण्ड अलीगढ़	31.07.2017
4-	गजानन्द पाण्डेय	13.07.57 / चन्दौली	समानान्तर देवबन्द शाखा खण्ड, रुडकी	31.07.2017
5-	स्वामी दीन	01.08.57 / जालौन	सिंचाई निर्माण खण्ड-द्वितीय, झाँसी	31.07.2017
6-	पदम प्रकाश दीक्षित	30.08.57 / लखीमपुर खीरी	लखनऊ शारदा नहर, लखनऊ।	31.08.2017
7-	संजीव रतन चौबे	15.10.57 / बलिया	सिंचाई निर्माण खण्ड, लखनऊ।	31.10.2017

संदीप अग्रवाल  
प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०)

संख्या: 5890 (1)/ई-7/तदिनांक: 22.12.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आपके अधीनस्थ मण्डल/खण्ड/कार्यालय में कार्यरत ऐसे जूनियर इंजीनियर (सिविल) जो वर्ष 2017 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले हों उनके सेवापुस्तिका से जन्मतिथि का मिलान अवश्य कर लें तथा यह भी देख लें कि यदि जन्मतिथि अथवा किसी अन्य कोई भिन्नता है या उनका नाम कार्यालय-ज्ञाप में छूट गया हो तो उनके सेवाविवरण एवं सेवानिवृत्ति करने की तिथि सहित सूचना विशेष दूत/लौटती डाक द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा सेवानिवृत्त विज्ञप्ति में नाम छूट जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सूचना न देने वाले अधिकारी/ कर्मचारी का होगा।
- 3- मुख्य अभियन्ता (स्वारा / पैक्ट), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, लिमिटेड, गोमती बैराज, बायों तट, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वाल्मी उतरेठिया, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश सूची को सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।

कमश:.....2

③ कम्प्यूटर के-ड

- 2 -

- 9- वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०)/मुख्य अभियन्ता (कार्मिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- वैयक्तिक सहायक (का०प्र०अनु०-१) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- ✓ 11- वैयक्तिक सहायक (का०प्र०अनु०-२) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि जिन जूनियर इंजीनियर (सिविल) की सेवापुस्तिका आपके कार्यालय में रहती है। तथा वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त होने वाले जूनियर इंजीनियर (सिविल) का नाम यदि इस विज्ञापित में सम्मिलित नहीं है तो उनकी सेवापुस्तिका से पुष्टि करके उसकी सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 12- महासचिव, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, 62 क्ले स्क्वायर, यूनियर भवन, लखनऊ। 226001
- 13- कट फाइल।

*Handwritten signature*  
21/12/16  
(नजमुल हसन)  
मुख्य अभियन्ता, (कार्मिक-7)  
*Handwritten signature*  
21/12/16